राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ.2(6855)सूप्रौ/संस्था/16/पार्ट/00859/2021 जयपुर, दिनांकः 15-02-2021

समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के जिला व पंचायत समिति कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों (अधिकारियों/कर्मचारियों) की सेवाएं विभागीय ई-गवर्नेन्स परियोजनाओं के अलावा अन्य कार्यों में अधिगृहित न किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय जिलों में जिला प्रशासन द्वारा इस विभाग के जिला एवं पंचायत समिति कार्यालयों में पदस्थापित सहायक प्रोग्रामर एवं सूचना सहायकों की विभागीय ई-गवर्नेन्स परियोजनाओं के अलावा अन्य नियमित एवं लिपिकीय कार्यों हेतु सेवाएं अधिगृहित की जा रही है।

विभाग की विभिन्न ई-गवर्नेन्स परियोजनाओं यथा ई-मित्र, जनाधार, राजनेट, Wifi, अभय कमांड सेंटर, राजसम्पर्क एवं नियमित तौर पर ग्राम पंचायत स्तर के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों, अन्य पॉइन्ट ऑफ सर्विस, ई-मित्र केन्द्र, ई-मित्र प्लस एवं उचित मुल्य की दूकान पर स्थापित PoS का नियमित Monitoring के कार्य इस विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है एवं इन कार्मिकों (अधिकारियों/कर्मचारियों) को उक्त तकनीकी कार्यों के लिये ही नियोजित किया गया है। तकनीकी कार्मिकों को लिपिकीय एवं अन्य गैर तकनीकी कार्यों में लगाया जाना इनके नियोजन के उददेश्य को निष्फल करता है एवं ई-गवर्नेन्स परियोजनाओं के संचालन को प्रभावित करता है। अतः विभाग के जिला व ब्लॉक कार्यालयों में पदस्थापित **कार्मिकों (अधिकारियों/कर्मचारियों) को विभागीय ई-गवर्नेन्स परियोजनाओं के अलावा अन्य कार्यों में नियोजित नहीं किया जाये।**

विभाग के संज्ञान में आया है, कि संबंधित विभागों द्वारा स्वयं के स्तर पर आदेश जारी कर तकनीकी कार्मिकों को अन्यत्र कार्यों के लिये कार्यव्यवस्थार्थ/प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है। अतः पूर्व में जारी ऐसे समस्त कार्यव्यवस्थार्थ व प्रतिनियुक्ति आदेश एवं भविष्य में होने वाले आदेश प्रभाव शून्य (Null & Void) होगें। प्रतिनियुक्ति एवं कार्यव्यवस्थार्थ आदेश सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की पूर्वानुमति बिना जारी करना सम्पर्णूता अव्यवहारिक माना जायेगा व ऐसे आदेश निष्प्रभावी होगे।

उक्त आदेश चुनाव एवं आपदा संबंधित कार्यों पर लागू नहीं होंगे।

(विरेन्द्र सिंह)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3 निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
4 समस्त उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी।
5 जिला स्तरीय अधिकारी पाक्षिक प्रगति कि समीक्षा करेंगें एवं प्रत्येक माह किये गये कार्यो की प्रगति समीक्षा उनके स्तर पर सुनिश्चित कर सूचित करने का श्रम करेंगे।
6 जिला स्तरीय अधिकारी, जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (मुख्यालय) की स्वीकृति के अभाव में आपके अधीन कर्मियों को अन्य किसी कार्य के लिए कार्यमुक्त न किया जावें। आदेश की अवहेलना की स्थिति में कर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर मुख्यालय को सूचित करें।
7 रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन